






न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज
<p>9-2-22</p>	<p>जिनी सिंह । शरणा- 9-2-22 वकील वेदी उपण। वामन जवाब शरणा-सिंह 10-5-22 को पेश है।  उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (अलवर)</p>
<p>10-5-22</p>	<p>वकील वाही उपण। वामन जवाब शरणा-सिंह दिनांक 14-5-22 को पेश है।  उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (अलवर)</p>
<p>14-5-22</p>	<p>वकील श्री उपण। शरणा-सिंह रिपोर्ट रूप जवाब दिनांक 21-9-22 को पेश है।  उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (अलवर)</p>
<p>21-9-22</p>	<p>वकील श्री उपण। जवाब रूप जवाब रिपोर्ट प्राप्त है। वामन वदय-शरण सिंहा 14-11-22 को पेश है।  उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (अलवर)</p>
<p>14-11-22</p>	<p>पनापली पेश है। वकील श्री को जना गया तथा पनापली में सबूत प्रस्तुत मोला रूप जवाब रिपोर्ट तहसीलदार किशनगढ़बास सिंहा 18-11-22 को जवाब रिपोर्ट जवाब रिपोर्ट सिंहा 18-11-22 को जवाब रिपोर्ट का नाम श्री सिंह के स्थान पर श्री सिंह किश जना उक्ति प्रस्तुत है अतः आदेश है कि आराजी खंनं 147/0-43, 148/0-23 किता 2 खण्ड 0 न। है वरुं शरणा-सिंह तहसील किशनगढ़-बास में प्रार्थना का नाम जनी सिंह शं. दोसा सिंह के स्थान पर जनी सिंह शं. दोसा सिंह किश जनी के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार ही शरण-सिंह में उक्त की जावे। निर्णय की प्रति पत्राचार तहसीलदार किशनगढ़-बास को भिजवा दी जावे। प्रार्थना पत्र फोन नं. शरण-सिंह दाखिल लेख भवन से आया गया।  14/11/22 उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (अलवर)</p>